

राजस्व लोक अदालत केम्प

मुकदमा नम्बर

वादी-

हिजोनीना

धनश्यामसिंह पुनकानसिंह कौरवा जति दौगा राजपूत
नि कोणीकाकावास

बनाम तहसीलदार किशनगढ रेनवाल (प्रतिवादी)

दावा दुरस्ती इन्द्राज अन्तगत धारा 88,89

निर्णय

उपरोक्त उनवानी वादी की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी का वाद निम्न प्रकार है :-

ग्राम कोणीकाकावास पटवार हल्का हिजोनीना तहसील कि रेनवाल
के आराजी खसरा नम्बर 37/4 व 37/1

में वादी का नाम व विवरण

धनश्यामसिंह कौरवा जति दौगा राजपूत

के स्थान पर

धनश्यामसिंह कौरवा जति दौगा राजपूत

पर दुरस्त किया जावें।

उपरोक्त वाद के संबंध में वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दस्तावेजों के अवलोकन करने तथा रिपोर्ट पटवारी/भू.अ.नि./तहसीलदार की अभिशंसा के आधार पर एवं केम्प कोर्ट में मजमेंआम में जांच की जाने पर उक्त दुरस्ती से किसी सहखातेदार का हित प्रभावित नहीं होने से वादी का वाद डिकी किया जाना उचित है

असल बाबत को बाबत डिक्को कियो जाकर निम्न प्रकार आदेश दिया जाता है

वर्तमान प्रविष्टि	आदेशित शुद्ध प्रविष्टि
चन्द्रश्यामाग्रीह पुत्र कागरीह केसरध जाति राजपूत को केरीकाकाबल (ब.नं. 32/4, 37/1)	चन्द्रश्यामाग्रीह पुत्र कागरीह केसरध जाति दौगा राजपूत साह केरीकाकाबल (ब.नं. 32/4, 37/1)

सत्यमेव जयते

मुक्रं 50/18
17/11/18

उपरोक्त डिक्को अनुसार तहसीलदार
को राजस्व रिकार्ड में अमल दरावद हेतू लिखा जावे।

सहायक कलेक्टर

सांभर लेक

सहायक कलेक्टर/उपखण्ड मजिस्ट्रेट,

सांभर-लेक (जयपुर)